

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2020

रिपोर्ट पटवारी 12-04/आ/20एल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्न अनुसार

श्रीमान, प्रार्थी द्वारा पुराने सपरा-पर, आगावकांड, इतिहास एकाईस का अदालत पहचान पत्र के आगाव पर देवीलिट पुन सखदा का नाम देवीलिट पुन सखदा लिख किया जाय उचित होगा।

क्रमांक : राजस/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशपा की जाती है / की जाती है।

1528
 23/11/2020

उचित किया जाय उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

23/11/2020
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :- 23/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मू0आ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0आ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	तौरप	2075-78	438 438	देवीलिट पुन सखदा	देवीलिट पुन सखदा लिख

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक - 23/11/20

क्रमांक :- राजस/2020/ 1205-1206
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0आ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तो पालनाार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

